FAQs

प्रश्नः–1 अतिक्रमण के बारे में शिकायत कहां करे?

उत्तरः– नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में हो रहे अतिक्रमण के बारे में आप न्यास के नागरिक सेवा केन्द्र अथवा cm help line (181) पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

प्रश्नः–2 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिये क्या करे?

उत्तरः– इस हेतु सर्वप्रथम आपको SSO.rajsthan.gov.in पर login कर Urban Services Application के माध्यम से अपने भूखंड की यूनिक प्रोपर्टी आईडी जनरेट के लिए आवेदन करना होगा। प्रोपर्टी आईडी जनरेट होने के पश्चात्, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर, ऑनलाइन ही राशि जमा कर e-sign द्वारा जारी लीज मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

प्रश्नः–3 उपविभाजन/पुर्नगठन के लिए आवेदन कैसे करें ?

उत्तरः– इस हेतु आप नगर विकास न्यास की वेबसाईट पर login कर ऑनलाइन उपविभाजन/पुनर्गठन के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है।

प्रश्नः–4 मैने नगर विकास न्यास द्वारा जारी आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड का क्रय किया है, वह नगर विकास न्यास के रिकार्ड में मेरे नाम किस प्रकार दर्ज (नामान्तरण) हो सकता है?

उत्तरः– इस हेतु सर्वप्रथम आपको SSO.rajsthan.gov.in पर login कर Urban Services Application के माध्यम से अपने भूखण्ड की यूनिक प्रोपर्टी आईडी जनरेट के लिए आवेदन करना होगा प्रोपर्टी आईडी जनरेट होने के पश्चात् नामांतरण के लिए आवेदन कर, ऑनलाइन ही राशि जमा कर e-sign द्वारा जारी नामांतरण पत्र प्राप्त कर सकते है।

प्रश्नः–5 ऑडीटोरियम केन्द्र का आरक्षण कैसे करे?

उत्तरः– नगर विकास न्यास के 01 ऑडीटोरियम है। इसकी बुकिंग हेतु SSO.rajsthan.gov.in पर login कर Urban Services Application के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करायी जा सकती है एवं उसके Rent/Avalibality की सूचना भी उपलब्ध है।

प्रश्नः–6 भूमि आवंटन (नीति 2015 के अनुसार)?

उत्तरः– न्यास में उपस्थित होकर सामान्य शाखा से निर्धारित फॉर्म प्राप्त कर आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्नः–7 कार्य के भुगतान की राशि?

उत्तरः– कार्यो को प्रमाणित करने के बाद कार्य की राशि का भुगतान किया जाता है।

प्रश्नः–8 लीजडीड/ पट्टा जारी करना (नगरीय निकाय के सक्षमता स्तर पर) ?

उत्तरः–नागरिक सेवा केन्द्र से फॉर्म न0 02 प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज (रजिस्ट्री पत्र चालान प्रति, पासपोर्ट साईज 3 फोटो) संलग्न कर आवेदन कार्यालय दिवस में नागरिक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत करें।